S@MPADA

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

क्रमांक 200 /सम्पदा–27/2015 भोपाल, दिनांक 10/02/2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय– सम्पदा एप्लीकेशन द्वारा डायवर्टेड भूमि से संबंधित दस्तावेजों में खसरा नकल एवम् भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका की अपेक्षा किए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सम्पदा एप्लीकेशन के अंतर्गत ई–पंजीकृत किए जाने वाले डायवर्टेड भूमि से संबंधित दस्तावेजों में भी खसरा नकल एवम् भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका की अपेक्षा की जा रही है, जबकि नियमानुसार खसरा नकल एवम् भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका प्रस्तुत किया जाना केवल कृषि भूमि के मामलों में आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में जिस स्तर पर सम्पदा में खसरा/भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका की नकल मांगी जाती है, उसी स्तर पर खसरा/भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका अपलोड न करते हुए पक्षकारों से इस आशय का स्वप्रमाणित (self-attested) प्रमाण–पत्र अपलोड कराया जाए, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के डायवर्टेड होने का तथ्य तथा डायवर्शन प्रकरण का क्रमांक व आदेश दिनांक का उल्लेख हो तथा यह भी उपवर्णित हो कि चूंकि प्रश्नाधीन भूमि डायवर्टेड है, अतः खसरा नकल एवम् भू–अधिकार व ऋण पुस्तिका प्रस्तुत किया जाना नियमों के अंतर्गत आवश्यक नहीं है।

उक्त अपलोड का सत्यापन मेकर डेस्क पर किया जाना सुनिश्चित करें।

Dipali Rastogi

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 201 /सम्पदा–27/2015 भोपाल, दिनांक 10/02/2015
एए

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर – जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

DR

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।